

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग
(स्थापना शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति


एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-1348 दिनांक 13.2.15 के द्वारा निर्गत "झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली-2015 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-4871 दिनांक 20.6.19 द्वारा संशोधित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में हजारीबाग जिला अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं दिनांक 20.6.19 को 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने तथा अर्हता धारण करने वाले कर्मियों का सेवा नियमितीकरण हेतु विहित प्रपत्र में दिनांक- 30.09.2019 के संध्या 5 बजे तक निम्न प्रकार से आवेदन आमंत्रित करने हेतु तिथि निर्धारित की गई थी जिसे विस्तारित करते हुए दिनांक 15.10.2019 के संध्या 5 बजे तक अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है।

1- आवेदक द्वारा आवेदन एवं उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की scan copy email ID- hazaribagh10yrsbahali@gmail.com पर भेजा जायेगा।

2- मूल आवेदन अनुलग्नकों सहित संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा अग्रसारण पत्र के साथ स्थापना उप समाहर्ता, हजारीबाग को भेजा जायेगा।

विहित आवेदन प्रपत्र website- hazaribag.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्धारित अवधि के पश्चात प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।



उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक: XV-12/15-955/स्था0 हजारीबाग, दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

✓ प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रपत्र NIC के उक्त website पर अविलम्ब प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।



उपायुक्त,
हजारीबाग।